दिनांक–19.03.2025 को निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उत्तरी बिहार के पदाधिकारियों के साथ राजस्व समाहरण की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– V.C के माध्यम से।

संशोधित लक्ष्य के अनुसार दिनांक 18.03.2025 तक प्राप्त जिलावार समाहरण निम्न प्रकार हैः–

(आँकड़ा लाख रू0 में)

क्र0	जिला	दिनांक 13.03.2025 को VC बैठक के उपरांत संशोधित लक्ष्य	दिनांक 18.03.2025 तक प्राप्त राजस्व समाहरण	दिनांक 31.03.2025 तक शेष किया जाने वाला समाहरण
1	पूर्णियाँ	3266.29	1901.14	1365.15
2	अररिया	2817.91	2601.29	216.62
3	किशनगंज	5172.29	3017.31	2154.98
4	कटिहार	4039.12	3082.54	956.58
5	दरभंगा	4315.13	2719.52	1595.61
6	समस्तीपुर	4871.89	3149.63	1722.26
7	मधुबनी	4774.02	3609.41	1164.61
8	सारण	5008.1	3403.8	1604.3
9	गोपालगंज	2811.45	1919.57	891.88
10	सीवान	3483.59	2378.59	1105
11	सहरसा	3410.61	1972.15	1438.46
12	सुपौल	4019.23	2905.41	1113.82
13	मधेपुरा	2885.92	1631.9	1254.02
14	मुजफ्फरपुर	4400.6	2723.42	1677.18
15	मोतिहारी	4768.93	3020.64	1748.29
16	बेतिया	5654.98	4189.34	1465.64
17	वैशाली	4200.41	2471.7	1728.71
18	शिवहर	2307.51	1269.72	1037.79
19	सीतामढ़ी	3285.46	2210.77	1074.69

- समीक्षोपरांत पाया गया कि खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज द्वारा 28.11 करोड़ रूपये पुनर्निधारित लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 19.19 करोड़ रूपये का राजस्व समाहरण दिनांक 18.03.2025 तक की गई है, जो काफी कम है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में संशोधित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत प्राप्ति नहीं होने की दशा में अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

- समीक्षा के क्रम में सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सख्त निदेश दिया गया कि कार्य विभागों द्वारा लघु खनिजों का वृहत पैमाने पर उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कार्य विभागों द्वारा कटौती की गई राशि को खनन विभाग के मुख्य शीर्ष में अविलम्ब जमा कराना सुनिश्चित करें।
- पंचायतीराज विभाग के egramswaraj.gov.in वेबसाईट से जिला/प्रखण्ड/ग्राम पंचायत में खर्च की गई राशि के आलोक में स्वामिस्व एवं मालिकाना फीस की वांछित राशि जमा कराने हेतु उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायतीराज पदाधिकारी/पंचायत सचिव से सम्पर्क स्थापित करने का निदेश दिया गया।
- सरकार की कल्याणकारी योजना में भी बड़े पैमाने पर काम हुआ है, इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर वसूली सुनिश्चित कराएँ।
- पुनर्निधारित लक्ष्य का शत्–प्रतिशत वसूली 31.03.2025 तक हर हालत में हो जानी चाहिए। जिन जिलों द्वारा वसूली में शिथिलता बरती जायेगी, उन जिलों के पदाधिकारियों पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

21/3/25

(विनोद दूहन)
निदेशक, खान,
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक :– 1779/एम0, पटना, दिनांक :– 24/03/25

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/25

निदेशक, खान